29/24

पत्रावली पार्क उप० नहीं, कई आवास सवाई नहीं, लेकिन कोई अतिक्रमण, बसावट उप० नहीं।

अतः प्रा०पत्र प्रार्थी अवैध होने से, अवैध श्रेणी में खारिज किया जाता है। अनुरिक्त निदेशालय आदेश दिनांक 22.6.23 को छोड़ा किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद नकील बाद-कर्ता के साथ रुखसत हो।

उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Badri Narain Meena
Date: 2024.08.21 16:22:30 IST
Reason: SelfAttested